न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/32/2016	30–08–2016	28–06–2018

1–चन्दर खां पुत्र भूपसिंह जाति मेव उम्र करीब 55 साल
2–जोमखां पुत्र भूपसिंह जाति मेव उम्र करीब 45 साल निवासी ग्राम बगड मेव तहसील रामगढ़ जिला अलवर

अपीलान्टस

बनाम

1–तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर राज0

रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 21.06.2016 नामान्तकरण संख्या 771 ग्राम बगड मेव तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री सोहनलाल शर्मा –वकील अपीलान्टस

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 21.06.2016 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 771 ग्राम बगड मेव, तहसील रामगढ़ जिला अलवर बेजा तौर पर अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के पक्ष मे दिनांक 30.09.1993 को तहसीलदार रामगढ़ द्वारा समपरिर्वतन आदेश जारी किया गया जो हम अपीलान्ट की खातेदारी आराजी में से 450 वर्ग मीटर आवासीय तथा 175 वर्ग मीटर व्यावसायिक उपयोग हेतु ग्राम बगड मेव में समपरिवर्तन किया गया। समपरिवर्तन आदेश की पालना में इन्तकाल संख्या 771 हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार रामगढ़ के समक्ष पेश किया जिस इन्तकाल को तहसीलदार रामगढ़ द्वारा बिना हमे सुने खारिज कर दिया। उक्त समपरिवर्तन आदेश को आज तक किसी के द्वारा चैलेन्ज नही किया गया है। वह आदेश आज भी प्रभावी है उसी आदेश की पालना में इन्तकाल दर्ज किया गया है। उक्त समपरिवर्तन आदेश के बाद अपीलान्टान के द्वारा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिती आज तक चली आ रही है। तहसीलदार रामगढ द्वारा अपने ही समपरिवर्तन आदेश के विरूद्व अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2016 पारित किया गया है जिसे वह किसी प्रकार से पारित करने व समपरिवर्तन आदेश को खारिज करने में सक्षम नही थे। आदेश दिनांक 21.06.2016 बिना कोई नोटिस दिये तथा बिना कोई अपीलान्ट को सुने पारित किया गया है तथा मौके व रिकॉर्ड की भी सही प्रकार जांच नही की गई है। अपीलान्टान को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)

05.08.2016 को हुई जिसकी नकल 26.08.2016 को प्राप्त कर अपील बिना देरी के पेश की गई है। देरी की अवधी को माफ करने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 मियाद अधीनियम पेश किया गया है। आदेश दिनांक 21.06.2018 के प्रभावी रहने से हम अपीलान्ट के अधिकारो पर विपरित प्रभाव हो रहा है। अतः तहसीलदार रामगढ़ का आदेश दिनांक 21.06.2016 निरस्त किया जाकर, संपरिवर्तन आदेश की पालना में इंतकाल स्वीकार करने की आज्ञा फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील आदेश दिनांक 21.06.2016 के विरूद्ध दिनांक 30.08.2016 को इस न्यायालय में पेश की है जो करीब दो माह विलम्ब से पेश की है। विलम्ब की अवधि असाधारण नहीं है फिर भी प्रार्थना पत्र दफा 5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है, अपील अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी का इंतकाल जो पटवारी द्वारा दर्ज कर आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का अंकन किया था, को स्वीकार किया जाकर तस्दीक किया जाना है। रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 18.05.2018 से स्पष्ट है कि बदोबस्त से पूर्व व बदोबस्त के पश्चात् संपरिवर्तन की गई आराजी के रकबे तथा भूमी में किसी प्रकार का अंतर नही है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, रामगढ उक्त आराजी पर आवासीय एवं व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है। तहसीलदार, रामगढ़ को इंतकाल का निर्णय करने से पूर्व उक्त सभी बिन्दुओ पर ध्यान देकर निर्णय पारित करना चाहिए था। लेकिन तहसीलदार, रामगढ़ द्वारा उक्त संबंध में कोई ध्यान नही दिया गया। उक्त संम्बध मे तहसीलदार रामगढ़ से स्पष्टीकरण लिया जावें। तहसीलदार,रामगढ़ का आदेश दिनांक 21.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार,रामगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पुनः इंतकाल का निर्णय नियमों की रोशनी में किया जाना सुनिश्चित करे।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०) ALWAR (RAJ.)

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)